

2025/796



सोहनलाल चौधरी / सरकार

US-136

रा.प्र.प.स - 606/2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर
(पीठासीन अधिकारी) पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

कमांक : राजस्व/2025/652

दिनांक : 15/12/2025

-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी चिरढाणी भू.अभिलेख निरीक्षक चिरढाणी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पीपाड़ शहर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम चिरढाणी तहसील पीपाड़ शहर व जिला जोधपुर की जमाबन्दी सर्वे आधार संवत् 2081 में खाता संख्या 124, 174, 444 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि(अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	चिरढाणी	124	सोहनलाल पुत्र गोरधनराम	सोहनलाल चौधरी पुत्र गोरधनराम
2	चिरढाणी	174	सोहनलाल पुत्र गोरधनराम	सोहनलाल चौधरी पुत्र गोरधनराम
3	चिरढाणी	444	सोहनलाल पुत्र गोरधनराम	सोहनलाल चौधरी पुत्र गोरधनराम

(नेम) राम

उपखण्ड अधिकारी

पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर

दिनांक : 15/12/2025

कमांक :-सम/2025/653 to 654

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार पीपाड़ शहर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. हल्का पटवारी चिरढाणी को सूचनार्थ।

(नेम) राम
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर